

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज  
 श्रीमत्पत्नी श्रीमत् / धनपाल लाल  
 मु. सं. 75/22

12.7.24

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ग्राम महवा जिला दौसा खेवर खतौनी एवं 358 के खसरा नम्बर 594 रकवा 0.09 है, 595 रकवा 0.05 हैक्टर, 596 रकवा 0.12 हैक्टर, 597 रकवा 0.46 है कुल कितना 4 कुल रकवा 0.72 हैक्टर तक की स्टेज पर जैर कार है। प्रार्थीगण का वादपत्र खारिज किया जा चुका है इसलिये प्रश्नात प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा चलाने का कोई औचित्य नहीं है।  
 अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है एवं दिनांक 30.09.2022 को अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली फेवल शुमार होकर मूल वाद खत्म रहे।  
 डॉ. सुनामा गमा

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 महवा जिला दौसा